

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1007 / 2009 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स  
संभाग- तृतीय, जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एफकोन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड,  
156/ए लेन नं. 5, वैशाली नगर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,  
राजकीय अभिभाषक  
श्री आर.एन.गर्ग,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 179/अपील्स-IV/2008-09/आई में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा WT-1/WT-2 में मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र विज्ञप्ति संख्या एफ.12(63)/ एफडी / टैक्स / 2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अन्तर्गत चाहा गया। व्यवहारी को अवार्डर Jaipur Mahua Toll way private Limited से संविदा कार्य आदेश दिनांक 08.03.2007 के द्वारा रुपये 14460167/- का संविदा कार्य हेतु प्राप्त हुआ। व्यवहारी को संविदा कार्य का आदेश Design supply installation Testing and Commision of Electron toll collection संबंधित कार्य प्राप्त हुआ। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी को दिनांक 11.08.2006 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत से रुपये 4,33,806/- का मुक्ति प्रमाण पत्र (EC)ET-3/WT-4 दिनांक 14.10.2008 जारी करते हुए रुपये 2,16,903/- रुपये कर आरोपित किया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.01.2009 द्वारा आरोपित कर को अपास्त कर, अपील स्वीकार की है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11, जयपुर में टोल कलेक्शन सिस्टम हेतु Design, Supply, Installation, Testing and

Commissioning of Electronic के लिए किये गये कार्य अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नम्बर 2 से आच्छादित (कवर्ड) नहीं होते हैं। उनका कथन है कि उक्त अधिसूचना के आईटम नम्बर 2 से Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system. उक्त कार्य आच्छादित होते हैं। उनका कथन है स्कोप आफ सबकान्ट्रैक्ट वर्क में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि The Scope of work under this letter of Award Consists of Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Electronic Toll Collection System( hereinafter called "TCS") or Tow Toll Plasas on Turnkey as detlailed in Appendis A. उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि टोल निर्माण बीओटी के आधार पर होता है जिस पर टोल वसूल किया जाता है टोल रोड को use करने वाहनों से वूसल किया जाता है जिसका सम्बन्ध रोड वर्क से होता है क्योंकि यह कार्य रोड के अलावा अन्य जगह नहीं किया जाता है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि टोल कलेक्शन हेतु सीसीटी कैमरा,कम्प्यूटर चलाने के लिए कैबिल लगाना आदि कार्य रोड से सम्बन्धित नहीं है। उनका कथन है कि उक्त कार्य करने हेतु प्रशिक्षित कार्मिको की आवश्यकता होती है जबकि रोड से सम्बन्धित कार्य करने वाले अधिकतर कार्मिक अकशुल श्रेणी के होते है, इसलिए टोल कलेक्शन सिस्टम को स्थापित करने को सडक निर्माण का भाग नहीं माना जा सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4 प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने मुक्ति प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त कर रु. 2,16,903/- आरोपित करने से पूर्व अधिनियम की धारा 65 सपठित नियम 48 एवं अधिनियम की धारा 76(6) के तहत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश में अतिरिक्त कर, बिना उचित एवं विधिक जांच किए तथा समुचित अवसर प्रदान किये बिना आरोपित किया है। उनका कथन है कि व्यवहारी को अवार्डर Jaipur Mahua T oll way private limited से Supply & installation of toll plaza & related goods at jaipur mahuwa highway का संविदा कार्य प्राप्त हुआ जिस पर सशक्त अधिकारी ने कुल संविदा की वैल्यू पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क other than related road मानते हुए लगाया जो नियमों के विरुद्ध है जबकि यह related road work है जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क लगना चाहिये था। अपने तर्क के समर्थन में अधिकृत अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, बेंगलोर बनाम आयकर आयुक्त निर्णय दिनांक 01.09.2009 (1999)Supp. SCR 192 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित वा.क.अ. बनाम पेनार इण्डो लि0 (2016) 44 टेक्ट अपडेट पेज 39 पेश करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा The Scope of work under this letter of Award Consists of Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Electronic Toll Collection System (hereinafter called "TCS") or Two Toll Plasas on Turnkey as detailed in Appendix A. किये गये कार्यों को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक पं. 12(63)वित्त/2005-80 दिनांक 11.08.2006 में कर दर सम्बन्धी सूची के आईटम नम्बर 2 से कवर्ड माना है जबकि सशक्त अधिकारी ने उक्त कार्यों को अधिसूचना के आईटम नम्बर 4 से कवर्ड मानते हुए कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 निम्न प्रकार है :-

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

6. उपरोक्त अधिसूचना के आईटम संख्या 2 में Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system. अंकित है, जो टोल टैक्स कलेक्शन से सम्बन्धित नहीं है इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा लेटर आफ अवार्ड के अपेडिक्स 'ए' व 'सी' में अंकित कार्यों को उक्त अधिसूचना के आईटम नम्बर 2 से कवर्ड नहीं माना जा सकता है।

7. उक्त तथ्य के निर्णय हेतु लेटर आफ अवार्ड के अपेडिक्स 'ए' व 'सी' को उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

इस सम्बन्ध में एनेक्चर "ए" के सारगर्भित अंश को उद्धृत करना समीचीन है :-

1. Design Supply & commissioning of Toll collection system as defined in the specifications of NIT including Schdules ABCDGLMPW&X of Concession Agreement with NHAI.
  2. Provision of all required license for operating systems, application etc.
  3. All cabling required ti install and set to work the toll collection system, including cabling to Plaza Company.
  4. Provision of fiber Optic LAN between the lanes equipment and the plaza computer system inside plaza control building.
  5. Provision for power distribution to the toll lane equipment.
  6. Commissioning of the complete toll collection system according to JMTPL's requirements terms of the specifications.
  7. Provision of CCTV for Surveillance (2 Nos. at each Toli Plaza with 1 DVR at each Toll Plaza)
  8. Training of the operating staff on using the complete system.
  9. Advice on plaza lighting requirement.
  10. Advice on power consumption for toll collection system/
  11. All necessary earthing surge protection and lighting protection for the entire system is within your scope of work.
  12. Inter plaza communication between Two toll plaza through OFC.
  13. Customs Clearence Overseas & Local Transporation and insaurance of goods till commission in of system.
  14. Providing complete Documentation of system and getting necessary approvals from NHAI/IC through JMTPL.
- APPENDIX 'C'

S.no.	Establishment (Preliminary & General)	Quantity	Unit	Total Price
	<b>Establishment (Preliminary &amp; General)</b>			
1.	Project Management	1	L.sum	3,42,930
2.	System Design and development (project specific) for lane system (Main Server Workstation, Printer Etc.) Interconnection system (networking) and others e.g. Power supply to equipment etc.	1	L.sum	
3.	System Documentation	1	L.sum	
4.	Shipping Including Multi national supply chain management trasnportation to site but including customs clearnce charges	1	L.sum	1,20,750
5.	Insaurance (EAR)	1	L.sum	1,43,750
6.	Testing commissioing installation and training (includes power supply cabling for the toll collection equipment in the lanes and toll control room building including power distribution boards and surge protection) including FAT in south Africa for 7 Persons from India	1	L.sum	8,00,170
	<b>SUB- Total For Lane Establishment</b>			<b>14,07,600</b>
2.	<b>Lane Equipment</b>	16	UNIT	
1.	Toll Lane Controller Consisting of lane CPU, POver supply HARD disks internal cabling I/O modules termination and software (including antivirus)	16	UNIT	
2.	Toll collectors terminal with built in swipe card reader & MBC	16	UNIT	
3.	Toll collectors display-15"CRT	16	UNIT	1,10,400
4.	Receipt Printer	16	UNIT	3,72,600
5.	Indoor Touch n GO Smart Card reader RD MF V30	16	UNIT	
6.	Automatic vehicle classification (AVC) system with 3 fibre Optic axlc sensors and a 5 level height sensor and AVC controller	16	UNIT	
7.	Lane display Unit/Customers display (for displaying the toll fare) - 90 mm chracter height LED Display	16	UNIT	5,52,000

S.no.	Establishment (Preliminary & General)	Quantity	Unit	Total Price
2.8	High speed Exit Barriers/ Gate 0.- secs.	16	UNIT	
2.9	Overhead lane signal (OHLS) LED types	16	UNIT	3,12,800
2.10	Classification repeater sign	16	UNIT	2,76,000
2.11	strobe/fog light	16	UNIT	1,08,560
2.12	Manual Entry Barrier (Non-Electric)	16	UNIT	5,19,984
2.13	Violation Sinen & cover with cover with Amber Light (in the form of a rotating beacon)	16	UNIT	64,400
2.14	Alarm Switch (Security Switch for Knee/ Foot operation)	16	UNIT	18,400
2.15	Traffic Light ( Lane Traffic Lights)- LED type	16	UNIT	2,39,200
2.16	Bar code reader	16	UNIT	1,10,400
2.17	Intercom Unit	16	UNIT	40,130
2.18	2 KVA UPS with 30 minute standby for each lane	16	UNIT	12,88,000
2.19	Junction Box & internal cabling (Includes cabling of lane and AVC controllers to the lane peripherals like traffic lights, OHLS lights etc.)	16	UNIT	3,68,000
	<b>Sub-Total For Lane Equipment</b>			<b>43,80,874</b>
<b>3</b>	<b>Plaza Equipment</b>			
3.1	Plaza Server with Rack (Processor type intel XEON 2.8GHZ RAM 512MB on higher Cache 512KB and CD Rom 40X Raid controller tape drive DAT (40GB) internal tape drive hard disk 72.8GB hot swap wide ltra 2 SCSI HDD Raid 5 monitor 15"LCD monitor Operating System Unix Data base informix anti virus (1Server each toll plaza as plza servers and 1 server at control center as central server)	3	UNIT	16,21,500
3.2	High end laser Printer (Monochrome printer)	3	UNIT	1,03,500
3.3	Plaza Workstations with LCD monitors (Complete with antivirus and 15"LCD monitors) The quantity includes one workstation dedicated for lane status display unit real time one for cash-up and one for administration and report generation and one for incident capture viewing (at each plaza)	3	UNIT	5,29,000
3.4	Network and network cabling (includes UTP network between the equipment in the toll control room building and with the lane equipment) in all lanes) including switches and inter plaza connectivity system	3	UNIT	13,73,100
3.5	6KVA UPS with 30 minute standby for above equipment at plaza	3	UNIT	4,64,600
3.6	Voice Communication Unit	3	UNIT	
	<b>Sub total for Plaza System</b>			<b>40,91,700</b>
<b>4</b>	<b>SOFTWARE</b>			
4.1	Smart Card Lane level Software	16	License	
4.2	Windows and informix license for lanes	16	License	
4.3	Plaza and operations centre application software and accounts module for card/ ETC implementation	1	License	
4.4	Informix Dynamic Server License (Unlimited Processor)	3	License	8,28,000
	<b>Sub total for software</b>			<b>8,28,000</b>

8. लेटर आफ अवार्ड के अपेन्डिक्स 'ए' व 'सी' में किये गये कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम नम्बर 1, 2, एवं 3 से कवर्ड नहीं होते हैं क्योंकि उक्त कार्य टोल कलेक्शन के सिस्टम हेतु स्थापित किये गये, जिन्हें सडक से सम्बन्धित कार्य माना जाना उचित नहीं है।

9. प्रकरण में विवाद के इस बिन्दु पर विचार किया गया कि व्यवहारी को जो उपरोक्त कान्ट्रेक्ट अवार्ड किया गया था वह **work contract relating to roads** है अथवा पूर्णतया भिन्न कार्य हेतु दिया गया कान्ट्रेक्ट है। यहां तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि व्यवहारी को रोड बनाने उससे सम्बन्धित कार्य जैसे कि उपरोक्त उक्त वर्णित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पैनार इण्डस्ट्रीज के निर्णय में विस्तार से विवेचित किया गया है उसमें **fixing of profile-safety steel banker at hazardous location on National Highway No-8 related to road** का आईटम रोड से सम्बन्धित माना है। जबकि व्यवहारी को प्राप्त ठेका टोल टैक्स वसूली हेतु कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने से सम्बन्धित है, जो रोड से सम्बन्धित नहीं है।

10. विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में यह निर्वचन किया है कि रोड निर्माण यूज करने वाले वाहनों से टोल वसूल किया जाता है जो रोड कार्य से सम्बन्धित है, जो उचित नहीं है। इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा टोल कलेक्शन सिस्टम हेतु स्थापित किये गये कम्प्यूटर, सीसीटी कैमरे एवं कम्प्यूटर चलाने हेतु डाली गई केबिल आदि सडक से सम्बन्धित कार्य माना जाना अविधिक है। अतः लेटर आफ अवार्ड के अपेन्डिक्स 'ए' एवं 'सी' से सम्बन्धित कार्य अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 4 के अन्तर्गत आने से उस पर 3.00 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क देय है।

11. प्रकरण के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.01.2009 को अपास्त कर सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 14.10.2008 को बहाल करते हुए ~~प्रस्तुत~~ अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(खेमराज)  
अध्यक्ष